27-10-25 पत्रावली पेश हुई। वकीलान उपस्थित
निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर
खुले-न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
नम्बर से कम हो। बाद तकमील
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री माधव भारद्वाज (आई0ए0एस)

सु.नं. 2/69

तारीख दायर	तारीख निर्णय
23.06.2025	27–10–2025

उनवान

1–इन्दुशेखर दीक्षित पुत्र रत्तीराम दीक्षित जाति ब्राहाण उम्र करीब 54 साल निवासी ब्राह्मणवाडी बहादुरपुर पट्टी मीरान तहसील व जिला अलवर

वादी / प्रार्थी

बनाम

1–फतेहसिंह पुत्र जलसिंह गुर्जर निवासी मकान नम्बर एन.ए. कॉलोनी, चिरावल माली तहसील नगर, हाल जिला डीग राजस्थान

2–बृजलालसिंह राना पुत्र पदमसिंह राना जाति गुर्जर निवासी चिरावल माली तहसील नगर, हाल जिला डीग राजस्थान

असल प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण

3–उमरशेद पुत्र नबी खां मेव निवासी बहादुरपुर पट्टी मीरान तहसील जिला अलवर

4–सलेमी पत्नी गन्नी जाति मेव निवासी सिरमौली तहसील अलवर जिला अलवर

5–संतरा पत्नी फतेहसिंह अहीर निवासी बहादुरपुर पट्टी मीरान तहसील व जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम

निर्णय

वादी / प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी सासरा नम्बर 957 रकबा 0.30 हेक्टर ग्राम बहादुरपुर पट्टी जोडिया तहसील अलवर में स्थित है। जिस आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा है तथा उपरोक्त आराजी में तारा पुत्री फतेहसिंह अहीर का 1/6 हिस्सा व तारा पत्नी लल्लूराम का 1/6 हिस्सा था। जिस हिस्से को उन्होंने हाल ही में तर० प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर दिया है, जिसका विकय पत्र भी तर० प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

हक में निष्पादन व पंजीयन किया जा चुका है। उक्त विकतागण ने अपने हिस्से का कब्जा भी तर० प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को दे दिया है एवं उपरोक्त आराजी में 1/6 हिस्सा तर० प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती संतरा है। इस प्रकार खासरा नम्बर 957 रकबा 0.30 हेक्टर वादी व तर० प्रतिवादी संख्या 3 लागायत 5 की मुश्तर्का खातेदारी की आराजी है

वादी व तर० प्रतिवादीगण की खातेदारी की उपरोक्त आराजी से लगती हुई खसरा नम्बर 955 प्रतिवादी संख्या 1 फतेहसिंह खसरा नम्बर 956 प्रतिवादी संख्या 2 बृजलालसिंह राना की खातेदारी की आराजी है। जिसकी बाबत राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम बतौर खातेदार के दर्ज चला आ रहा है

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी खासरा नम्बर 955 रकबा 0.75 व 956 रकबा 0.14 कुल किता 2 रकबा 0.89 हेक्टर की पैमायश कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 26–03–2025 को नायब तहसीलदार बहादुरपुर के आदेश की पालना में दिनेश कुमार पटवारी हल्का बहादुरपुर पट्टी जोडिया व अभिशेख शर्मा पटवारी हल्का चिकानी तथा विजय शर्मा भू–अभिलेखा निरीक्षक बहादुरपुर व मनीष जोशी भू–अभिलेख निरीक्षक पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर आये और उन्हों ने उपरोक्त खसरा नम्बर 955 व 956 की सीमा ज्ञान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को करा दिया, जिस पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर करते हुए खसरा नम्बर 955 व 956 पर सीमेंट की खम्भी भी मौके पर लगा दी जिसके संबंध में एक मौका पर्चा रिपोर्ट भी तैयार किया गया, उक्त मौका पर्चा दिनांक 26–03–2025 को तैयार किये जाने के पश्चात वादी दिनांक 26–04–2025 को अपनी रिश्तेदारी में बाहर चला गया, जिसका बेजा लाभ उठाते हुए असल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी व तर० प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 957 जो खासरा नम्बर 955 व 956 से लगता हुआ है पर संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख स्थल जो मार्क डोट–डोट के दर्ज किया गया है, पर बिना किसी हक व अधिकार के नाजायज कब्जा कर लिया और पूर्व में जिस स्थल पर सीमेंट की खाम्भी लगाई गई थी, को हटाकर उपरोक्त स्थल रंग सुर्ख पर सीमेंट की रेडीमेड दीवार लगाकर अपना नाजायज कब्जा कर लिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी व तर० प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 957 के करीब 15 ऐयर भूमि पर नाजायज कब्जा बिना किसी हक व अधिकार के अतिक्रमण करते हुए कर लिया है, जो दीवार सीमेंट की प्रतिवादीगण द्वारा रेडीमेड लगाई गई है, को वादी हटवाकर विवादित स्थल पर कब्जा वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

वादी हाल ही में गांव वापिस आया और मौके पर उपरोक्त प्रकार से सासरा नम्बर 957 पर प्रतिवादीगण का कब्जा बतौर नाजायज कब्जा के होना पाया तो वादी ने ऐतराज किया एवं प्रतिवादीगण से उक्त नाजायज कब्जा को हटाते हुए कब्जा वापिस देने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 25–05–2025 को कतई तौर पर इंकार कर दिया और यह भी धमकी दी कि अब वो अपने खातेदारी की आराजी का बेचान करते हुए कब्जा विवादित स्थल रंग सुर्ख खसरा नम्बर 957 पर खरीददार को देंगे। कानूनन प्रतिवादीगण को उपरोक्त प्रकार से अपनी खातेदारी की आराजी को बेचान करने का कोई हक व अधिकार नहीं है।

वाद के विचारण में समय लगने की संभावना है, इस दौरान यदि प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी का बेचान करते हुए विवादित स्थल का कब्जा नवीन केता को दे दिया तो वादी को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा तथा स्थिति मौका तब्दील हो जावेगी। जिस कारण वादी असल प्रतिवादीगण के खिलाफ डिकी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन ,नापूर्ति होने वाली क्षति वादी के हक में साबित पाई जाती है।

अतः निवेदन है कि ताफैसला वाद असल प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वो अपनी खातेदारी की आराजी खासरा नम्बर 955 रकबा 0.75 व 956 रकबा 0.14 वाके बहादुरपुर पट्टी जोडिया तहसील अलवर को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान आदि ना करें और ना ही कथित बेचान की आड में खसरा नम्बर 957 के विवादित स्थल रंग सुर्ख का कब्जा नवीन केता को दें तथा बाज आवें। समर्थन में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलब किया गया असल प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जर्ये अभिभाषक जबाव पेश किया कि प्रार्थनापत्र का पैरा नम्बर 1 जिस प्रकार बयान किया गया है मे यह सही है कि उक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है कि जिसमे वादी प्रार्थी को सफलता की कोई आशा नही रखनी चाहिए।

प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 2 जिस प्रकार बयान किया गया है तथ्यात्मक है जो गौर तलब श्रीमान है प्रार्थनापत्र का पैरा नम्बर 3 जिस प्रकार बयान किया गया है स्वीकार है प्रार्थनापत्र का पैरा नम्बर 4 जिस प्रकार बयान किया गया हैं स्वीकार है

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 5 जिस प्रकार बयान किया गया है गलत है स्वीकार नही है इस जिम्मन में वादी ने बढा चढा कर गलत आशय से तथ्य दर्ज किए हैं सत्यता यह है कि दिनांक 26/3/2025 को हम प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 955 व 956 की राजस्व विभाग द्वारा पैमायश कराकर सीमेन्ट की खम्भी भी मौके पर लगाई गई जो आज भी मौके पर यथावत है इसके बाद महज एक माह बाद दिनांक 26/4/2025 को हम प्रतिवादीगण द्वारा गढी हुई सीमेन्ट की खम्भी को हटाने का सवाल ही पैदा नही होता है हम प्रतिवादीगण बाहर के रहने वाले है वादी स्थानीय क्षेत्र का हैं जो येनकेन प्रकारेण रूप से हम प्रतिवादीगण की आराजीयात को हडपने व अजखुद खरीद करने की मंशा से हम प्रतिवादीगण को परेशान कराने मे लगा हुआ है जिसे ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इस जिम्मन में वादी का यह कहना गलत है कि वादी व तरतीवी प्रतिवादीगुण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 957 के करीब 15 ऐयर भूमि पर हम प्रतिवादीगण द्वारा जबरन नाजायज कब्जा कर लिया हो ये तमाम तथ्य गलत हैं। हम प्रतिवादीगण ने वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 957 की एक इंच भूमि पर भी कब्जा नही किया है और ना ही सीमेन्ट की खम्भी हो हटाकर नयी रेडीमेन्ट खम्भी लगाने का सवाल ही पैदा नही होता है। वादी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थनापत्र लेकर आया है जो काबिले खारिज है।

प्रार्थनापत्र का पैरा नम्बर 6 जिस प्रकार बयान किया गया हैं गलत है स्वीकार नहीं है। इस जिम्मन में वादी प्रार्थी ने तमाम तथ्य बनावटी कपोलकल्पित तथ्य दर्ज किए है। हम प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण द्वारा जब वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 957 की एक इंच भूमि पर जब कोई कब्जा ही नही किया तो उसे हटाने का व दिनाक 25/5/2025 को वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की धमकी देने का सवाल ही पैदा नही होता है वादी व तरतीवी प्रतिवादीगुण अजखुद हम प्रतिवादीगण की आराजी को हमे परेशान कर अजखुद खरीदने को अमादा है उनका कहा नही मानने पर उनके द्वारा महज हम प्रतिवादीगण को परेशान करने की मंशा से यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जो काबिले खारिज है।

प्रार्थनापत्र का पैरा नम्बर 7 जिस प्रकार बयान किया गया हैं गलत है स्वीकार नही है हम प्रतिवादीगण द्वारा अजखुद आराजी खसरा नम्बर 955, 956 जयें रजिस्टर्ड बयनामा कयशुदा है जिसका नामान्तरण नम्बर 640 व 641 का अंकन ताहाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2070–2074 मे है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

इस प्रकार जब हम प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी कय की है तो उसे किसी को बेचान करने का सवाल ही पैदा नही होता है वैसे भी कानूनन हम प्रतिवादीगण अपनी आराजी को विक्रय करने कार्य काश्त आदि का अधिकार सुरक्षित रखते है। हम प्रतिवादीगण की आराजी से वादी का जब कोई लेना–देना नही है और हम प्रतिवादीगण ने वादी की आराजी खसरा नम्बर 657 का एक इंच भाग भूमि पर कब्जा नही किया है तो उस सूरत में वादी हम प्रतिवादीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार नहीं हैं प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है

प्रार्थनापत्र का पैरा नम्बर 8 जिस प्रकार बयान किया गया है। गलत है स्वीकार नही है। वादी प्रार्थी के हक में कोई किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति साबित नही पायी जाती हैं इस्तदुआ मे दर्ज तथ्य गलत है स्वीकार नही है वादी प्रार्थी हम प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार नहीं है। प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है।

अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र वादी प्रार्थी मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय की बहस सुनी गई वकुलाय द्वारा जबाव एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को ही दोहराया गया हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधि. के निर्णय से पूर्व तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति पर गौर करना होता है।

1:–प्रथम दृष्टया केस :–न्यायालय को सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (राजस्व रिकार्ड) पर गौर कर यह देखना है कि आया प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है अथवा नहीं। प्रार्थी ने प्रा0 पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–74 आराजी खसरा नम्बर 955 रकबा 0.75 है0 एंव 956 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम बहादपुर पटटी जोडिया, तहसील अलवर पेश की है प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी के अप्रार्थी सम्पूर्ण हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है चूकि न्यायिक सिद्वान्तो के अनुरूप भी रिकार्डड खातेदार को अस्थाई/स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है दावे में तनकीयात एंव साक्ष्य व सबूत के आधार पर मेरिट पर निर्णय किया जावेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के हक में साबित होते है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

2 सुविधा का सन्तुलनः—अप्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड काश्तकार खातेदार है संलग्न राजस्व दस्तावेजात से इसकी पुष्टि होती है प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा राजस्व विभाग कि टीम द्वारा दिनॉक 26–5–2025 को जो सीमाज्ञान किया गया है उसके आड मे प्रार्थी की खातेदारी भूमी पर अतिक्रमण किया गया है। परन्तु ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो नाही साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है

तहसीलदार अलवर द्वारा पुलिस विभाग की उपस्थिति मे जो दिनॉक 26–5–2025 को आराजी खसरा नम्बर 955 रकबा 0.75 है0 एंव 956 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम बहादपुर पटटी जोडिया, तहसील अलवर का जो सीमाज्ञान कराया गया है उसमे वक्त मौका पर्चा (प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मे) इस प्रकार के किसी भी कथनो का उल्लेख नही किया गया है जिससे किसी भी प्रकार के अतिक्रमण होना जाहिर हो तहसीलदार मय राजस्व टीम द्वारा राजस्व रिकार्ड मे अंकित खातेदार को ही उसकी खातेदारी आराजी का राजस्व रिकार्ड द्वारा सीमाज्ञान कराया गया है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से अप्रार्थी के कथनो की काफी हद तक प्रमाणिकता पुष्टि होती है इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में साबित होता है।

3:—<u>अपूर्णीय क्षति :—</u>वर्तमान स्थिति मे अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 955, 956 जर्ये रजिस्र्टड बयनामा कयशुदा है जिसका नामान्तकरण न0 640 व 641 से अमल राजस्व रिकार्ड हुआ है अतः विवादित आराजी के अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी विवादित आराजी से रिकार्ड गैर वास्ता शख्स है प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो कि अप्रार्थी द्वारा उसकी आराजी को सीमाज्ञान की आड मे अपनी आराजी मे मिला लिया हो नाही इस प्रकार का कथन सीमाज्ञान के प्रस्तुत मौका पर्चा मे किया गया किया गया है अतः अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को ना होकर अप्रार्थी के हक मे पाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अतः तीनों शर्ते प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति क्षति पूरी होनी चाहिए। तीनो शर्ते प्रार्थी के पक्ष में नही पाई जाकर अप्रार्थीगणो के पक्ष मे पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 27 –10–25 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर